

मध्य प्रदेश शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, बल्लम भवन भोपाल

क्रमांक-एफ-19-24/2020/पी-1/31  
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल ।

विषय- "न मांग न जाँच" प्रमाण पत्र बावत्- श्री ऋषभ कुमार दुबे, सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री ।

—00—

श्री ऋषभ कुमार दुबे, कार्यपालन यंत्री अधिवार्षिकी आयु पूर्ण दि. 30.06.2020 से सेवा निवृत्त हुये ।

2/ विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री ऋषभ कुमार दुबे, से.नि. कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध वर्तमान में कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है । श्री ऋषभ कुमार दुबे कार्यपालन यंत्री, के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा भी "न मांग न जांच" की जानकारी निरंक उपलब्ध कराई है ।

अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री ऋषभ कुमार दुबे, सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री के पक्ष में "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन


जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/11/2020

पृ0क्र0-एफ-19-24/2020/पी-1/31

प्रतिलिपि:-

1. संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी.....
3. संबंधित अधिकारी श्री ऋषभ कुमार दुबे, सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री (द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग)
4. वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु ।
5. स्टाक पंजी ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
अवर सचिव 23/11/20

मध्य प्रदेश शासन,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल